

No. HQ/PIO/RTI/236/15

Date: 10.07.2015

श्री गिरजि सिंह,
पुत्र श्री महेन्द्र सिंह,
गाव असावटी,
त. व जिला पलवल, हरियाणा।



[Handwritten Signature]

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt. Nil, received in this office on 22.06.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

क. सं.	प्रश्न	जवाब
1	मुस्तील नं. 55/3 कीला नं. 3 व 8 के बीच व 8/1, 8/2 के बीच व 8/1 व 13/2 के बीच में व 13/2 व 14 के बीच में किसानों का जो रास्ता है, उसे हमेशा के लिए किस कारण से रोका जा रहा है व उसके बदले में किसानों की दो टुकड़ों में जमीन का विभाजन हो गया है। उसके लिए रास्ता कहा से दिया जा रहा है।	इन रास्तों को डीएफसीसी द्वारा असावटी रेलवे स्टेशन में रेलवे लाईन का कनेक्शन देने के कारण बंद करना पड रहा है। इसके लिए किसानों को रास्ता जटौला असावटी मार्ग पर RUB बना कर दिया जा रहा है।
2	भारतीय रेलवे नहरी पानी की निकासी के लिए जो आर-पार के लिए जो बॉक्स बना रही है, व बहुत छोटे है। जबकि किसानों ने 6 फुट चौड़े व 8 फुट उचाई के होने चाहिए। जिसके किसान अन्दर से उनकी सफाई कर सकें क्योंकि पाईप लाईन की लम्बाई 62 फुट है।	नहरी पानी की निकासी के लिये सिंचाई विभाग से विचार विमर्श करने के उपरांत उचित साईज का बॉक्स दिया जायेगा।
3	मुस्तील नं. 55/10-11 व 20 के पश्चिम मुस्तील नं. 55/6 व 15 व 16 के बीच में जो रास्ता है वह निजी रास्ता है, सामुहित रास्ता नहीं है। जबकि आपके सुबोध सिंह, सहायक परियोजना प्रबन्धक डीएफसीसीआईएल जी को रास्ते के लिए अण्डर ब्रिज बनाने को कहा है।	इन रास्तों को डीएफसीसी द्वारा असावटी रेलवे स्टेशन में कनेक्शन देने के कारा बंद करना पड रहा है। इसके लिये किसानों को रास्ता जटौला असावटी मार्ग पर RUB बना कर दिया जा रहा है।

<p>4 क्योंकि आपके सुबोध सिंह सहायक परियोजना प्रबन्धक मानने को तैयार नहीं है। जोकि भूमि अधिग्रहण के बारे में कमिश्नर रोहतक में हमारे केस चल रहे है। श्रीमान जी प्रोजेक्ट मैनेजर जी नोएडा से प्रार्थना है कि श्रीमान सुबोध सिंह जी को मौके पर असावटी गांव में ले जाकर किसानों के रास्ते की समस्या के बारे में अवगत करया जाये। श्रीमान सुबोध सिंह जी रोहतक में तारीख 6/6/2015 को यह कहा था कि जटौला की सडक से लेकर असावटी को NCR रेलवे लाईन तक अण्डर पास व ओवर ब्रिज व सडक के लिए जिस पर से किसान निकलेंगे, उस ठेके की सूचना के अधिकार पर जानकारी लो तब में बात करूंगा। जिस जगह का जो टेंडर छोडा गया है उसकी अटैस्टिंग कापी होगी तो बात करूंगा वरना नहीं। श्रीमान जी से उपरोक्त की कापी दी जाये जो भी फीस लगेगी, हम किसान देने को तैयार है।</p>	<p>इस विषय के संबंध में दिनांक 1 जुलाई 2015 को श्री सुबोध सिंह (सहायक परियोजना प्रबंधक/डीएफसीसी), एस.डी. एम./पलवल (सक्षम प्राधिकारी) एवं हितबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में मीटिंग करने पश्चात निस्तारण किया जा चुका है।</p>
--	--



(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to:- CPM/Noida

